

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-2). 1834 एवं 1835/2017..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

उनवान: मैसर्स श्री विष्णु कॉटन ऑयल फैक्ट्री, श्रीगंगानगर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	---

16/01/2018

**खण्डपीठ**  
**श्री नत्थूराम, सदस्य**  
**श्री के.एल.जैन, सदस्य**

1. अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना-पत्र अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 252 व 253/आरवेट/सूरतगढ/2016-17 राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित आदेश दि. 27.10.2017 के विरुद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यवसायों से रॉ कॉटन की खरीद की जाकर उससे कॉटन, बिनौला, तेल एवं बिनौला खल का विनिर्माण किया जाता है। उक्त निर्मित उत्पादों में कॉटन, बिनौला एवं बिनौला तेल करयोग्य है और बिनौला खल करमुक्त माल है। अपीलार्थी द्वारा रॉ कॉटन पर चुकाए गए समस्त वैट का आई.टी.सी. समायोजन चाहा गया, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केवल उत्पादित कर योग्य माल पर ही आई.टी.सी. स्वीकार किया गया तथा कर मुक्त (बिनौला खल) उत्पाद की बिक्री के अनुपात में रिवर्स टैक्स आरोपित कर दिया गया और उसी तर्ज (आनुपातिक) पर धारा 4 के तहत क्रय कर की गणना करके आरोपण किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.10.2017 द्वारा निम्न तालिकानुसार कर को यथावत रखा गया है, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा यह अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के प्रस्तुत की गई हैं।

अ.सं.	अ.अधि. की अ.सं.	अपी. अधि. आदेश दि.	क.नि. आदेश दिनांक	क.नि.वर्ष	रिवर्स कर	क्रय कर
1834/17	252	27.10.17	05.08.16	2009-10	12,08,453	1,92,435
1835/17	253	27.10.17	05.08.16	2010-11	6,77,652	2,30,580

3. स्थगन प्रार्थना पत्रों पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री वी.सी.सोगानी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया। उनके द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलार्थी एक विनिर्माता है। अपीलार्थी द्वारा कच्चा माल नरमा/कपास पंजीकृत/अपंजीकृत व्यवहारियों (किसानों) से खरीद कर उसका उपयोग करयोग्य माल कॉटन, कॉटन सीड एवं तेल के निर्माण में किया जाता है तथा जिसकी बिक्री पर अपीलार्थी ने कर जमा कराया है लेकिन खल की बिक्री सशर्त करमुक्त की है,



21/2

लगातार.....2

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-2). 1834 एवं 1835/2017..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	शेडर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
/01/2018	-: 2 :-	
	<p>जो कि एक सहउत्पाद है तथा सशर्त करमुक्त घोषित है, यह करयोग्य माल के उत्पादन के दौरान प्राप्त होती है जो कि स्वतः प्राप्त झड़ उत्पाद ही बिनौला खल है। इस प्रकार खल पर आनुपातिक रूप से आईटीसी रिवर्स करना विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने यह भी कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने काश्तकारों से सीधे क्रय किये गये नरमा कपास पर अधिनियम की धारा 4(2) के अंतर्गत क्रय कर आरोपित किया है, जो विधिसम्मत नहीं है। इन्होंने प्रकरण में प्रथम दृष्टतया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना बताते हुए आरोपित कर को कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपीलों के निस्तारण तक स्थगित किये जाने का निवेदन किया।</p> <p>5. उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।</p> <p>6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया -</p> <p>7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी एक विनिर्माता है तथा उसके द्वारा नरमा कपास से रूई, कॉटन सीड, तेल का उत्पादन किया जाता है तथा खल (Oil Cake) का उत्पादन बॉय प्रोजेक्ट के रूप में होता है। कर निर्धारण अधिकारी ने कर मुक्त माल खल के उत्पादन की सीमा तक आईटीसी को रिवर्स किया है। जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा है। इस बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय (2016) 89 वेट एण्ड सर्विस टैक्स केसेज 54 शिव एडिबल्स लिमिटेड बनाम सीटीओ, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा व अन्य निर्णय दिनांक 30.09.2015 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-</p> <p>“Accordingly, when similar view has already been taken by this court on identical facts, there is no reason to deviate with the judgment rendered in CTO V. Durgeshwari Food Ltd., Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3.</p> <p>At his juncture, counsel for the petitioner canvassed that the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, has admitted special leave petition and contends that the present petition be kept pending till disposal of appeal by the Hon'ble Apex Court or in the alternative she contends that whatever order will be passed by the Hon'ble Apex Court in SLP in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar, should also govern the fate of the instant revision petition.</p> <p>Accordingly, the revision petition stands dismissed in the light of judgment rendered in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar [2012] 32 Tax Update 3, with a rider that in case the judgement by Hon'ble Apex Court is decided in favour of the assessee in that case then this revision petition will be governed by the verdict of the Hon'ble Apex Court in the case of Durgeshwari Food Limited, Shri Ganganagar.”</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम दुर्गेश्वरी फुड लि. (2012) 32 Tax Update में पारित निर्णय को यथावत रखा है। वेट अधिनियम 2003 की धारा 18 में उल्लेखित प्रावधान " however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section." से भी यह स्पष्ट है कि</p>	
		
		लगातार.....3

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-(1-2). 1834 एवं 1835/2017..... जिला .....श्रीगंगानगर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज - 3 -	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
/01/2018	<p>यदि क्रय किये गये माल का उपयोग आंशिक रूप से Taxable और आंशिक रूप से अन्यथा प्रयोग किया जाता है तो input tax credit अनुपातिक रूप से दिया जायेगा। इस प्रकार विधिक स्थिति के अनुसार input tax credit उसी सीमा तक देय है जिस सीमा तक Taxable Goods का निर्माण किया जाता है तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत से भी इस धारणा की पुष्टि होती है। इस प्रकार विधिक स्थिति एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के आलोक में इस बिन्दु पर अपील अच्छे हेतुक ( Good Cause) की श्रेणी में नहीं होने के कारण स्थगन दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत नहीं है।</p> <p>8. विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय बिन्दु क्रय कर पर स्थगन के संबंध में है। कर निर्धारण अधिकारी ने काश्तकारों से सीधे क्रय किये गये कच्चे माल नरमा कपास की खरीद पर धारा 4(2) के अंतर्गत क्रय कर का आरोपण किया गया है। अधिनियम की धारा 4(2) के अनुसार क्रय मूल्य पर करारोपण उसी अवस्था में किये जाने का प्रावधान है, जब उसके विक्रय पर कोई कर देय नहीं हो तथा उसका निस्तारण अधिनियम की धारा 18(1) के क्लॉज "ए" से "जी" से भिन्न किया गया हो। विचाराधीन प्रकरण में क्रय किये गये कच्चे माल का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया अर्थात् 18(e) के प्रावधान के अनुसार किया गया है जिससे इस क्रय किये गये कच्चे माल के क्रय मूल्य पर करारोपण किया जाना विधिसम्मत है या नहीं, यह बिन्दु परीक्षण योग्य है। अपील का यह बिन्दु अच्छे हेतुक की श्रेणी में है जिससे इस बिन्दु की सीमा तक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व महत्वपूर्ण क्षति का मामला अपीलार्थी के पक्ष में बनता है जिससे क्रय कर के संबंध में स्थगन दिया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है।</p> <p>9. अतः स्थगन आदेश आंशिक स्वीकार करते हुए अपील संख्या 1834/17 में आरोपित क्रय कर रूपये 1,92,435/- एवं अपील संख्या 1835/17 में आरोपित क्रय कर रूपये 2,30,580/- की मांग को अपीलों के निस्तारण तक स्थगित किया जाता है।</p> <p><del>आदेश</del> निर्णय सुनाया गया। मालख जस्टिस अदालत दिनांक 23-02-18को खण्डपीठ के समक्ष पेश हो। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड रखते हैं।</p>	
/01/2018	<p style="text-align: center;">(कि.एल.जैन) सदस्य</p>	<p style="text-align: center;">(नत्थूराम) सदस्य</p>

